



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-20.04.2024

विषय:- कुल 32 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त सदानन्द उर्फ संदीप थाना चोलापुर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार ।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा अवैध शराब की बिक्री/निष्कर्षण/परिवहन व वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के निर्देशन में थाना चोलापुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर औरा नहर पुलिया थाना चोलापुर कमि0 वाराणसी से अभियुक्त सदानन्द उर्फ संदीप पुत्र विजयी निवासी ग्राम औरा थाना चोलापुर जनपद वाराणसी को दिनांक-19.04.2024 को समय करीब 21.30 बजे कुल 32 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना चोलापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-0130/2024 धारा 60 उ0प्र0 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त सदानन्द उर्फ संदीप ने पूछताछ करने पर बताया कि इस जरकिन में कच्ची नाजायज शराब है और सेमरी गाँव के पास से मैं यह शराब खरीदकर लाता हूँ । मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और इसको बेचकर अपना जीवन यापन करता हूँ । आज भी यह शराब खरीदकर इसको बेचने के लिए ले आया था कि अचानक से आप लोगो ने मुझे पकड़ लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सदानन्द उर्फ संदीप पुत्र विजयी निवासी ग्राम औरा थाना चोलापुर जनपद वाराणसी, उम्र करीब 25 वर्ष ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- औरा नहर पुलिया थाना चोलापुर कमि0 वाराणसी से दिनांक-19.04.2024 को समय करीब 21.30 बजे ।

बरामदगी का विवरण- कुल 32 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1- उ0नि0 शैलेश कुमार यादव थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 2- हे0का0 दिनेश कुमार यादव थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 3- का0 अजय कुमार यादव थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी ।



सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।